रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237795
CG-DL-E-01082022-237795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
No. 537]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 610(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (4ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 21कट में,--

(अ) उपनियम (1) में,--

(क) आरंभिक पैरा में, “अपरिदाय अग्रेषित संविदा” शब्दों के पश्चात्, “या अपतट व्युत्पन्न लिखत या पटल पर व्युत्पन्न संविदा” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (i) में, “अपरिदाय अग्रेषित संविदा” शब्दों के पश्चात्, “या अपतट व्युत्पन्न लिखत या प्रति व्युत्पन्न के ऊपर” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खंड (ii) में, "संविदा" शब्द के पश्चात्, ", लिखत या व्युत्पन्न" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण—**इस नियम के प्रयोजन के लिए,--

(i) "व्युत्पन्न" पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (कग) में उसका है ;

(ii) "अपरिदाय अग्रेषित संविदा" पद से पूर्व में सहमत विनिमय दर और परिपक्व होने पर वास्तविक हाजिर दर में अंतर के लिए संविदा अभिप्रेत है, जहां हाजिर दर को घरेलू दर या बाजार द्वारा निर्धारित दर के रूप में लिया जाएगा और ऐसी संविदा का निपटान विदेशी मुद्रा में एकल संदाय के साथ किया जाएगा ;

(iii) "अपतटीय बैंककारी इकाई" पद से अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित कोई बैंककारी शाखा इकाई अभिप्रेत है ;

(iv) "अपतट व्युत्पन्न लिखत" पद का वही अर्थ होगा, जो सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के विनियम (2) के उपविनियम (1) के खंड (ण) में उसका है ;

(v) "प्रति व्युत्पन्न के ऊपर" पद से ऐसी व्युत्पन्न संविदा अभिप्रेत है, जो विनिमय पर व्यापार नहीं की है, लेकिन बदले में क्रेता और विक्रेता के बीच व्यक्तिगत रूप से परक्रामणिक है ; और

(vi) "स्थायी प्रतिष्ठापन" पद का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 92च के खंड (iiiक) में उसका है ।'।

[अधिसूचना सं. 87/2022/फा. सं. 370142/36/2022-टीपीएल]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 537(अ) तारीख 12 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 610(E).— In exercise of the powers conferred by clause (4E) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Income-tax (Twenty Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 21AK, -

(A) in sub-rule (1), -

(a) in the opening paragraph, after the words "non-deliverable forward contracts", the words "or offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives," shall be inserted;

(b) in clause (i), after the words "non-deliverable forward contract", the words "or offshore derivative instrument or over-the-counter derivative" shall be inserted;

(c) in clause (ii), after the word "contract", the words ", instrument or derivative" shall be inserted;

(B) for the Explanation, following shall be substituted, namely:-

"Explanation.—For the purpose of this rule, the expression,—

(i) "derivative" shall have the same meaning as assigned to it in clause (ac) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956(42 of 1956);

(ii) "a non-deliverable forward contract" shall mean a contract for the difference between an exchange rate agreed before and the actual spot rate at maturity, with the spot rate being taken as the domestic rate or a market determined rate and such contract being settled with a single payment in a foreign currency;

(iii) "offshore banking unit" means a banking branch Unit located in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA of the Act;

(iv) "offshore derivative instrument" shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of sub-regulation (1) of regulation (2) of the SEBI Foreign Portfolio Investor Regulations, 2019;

(v) "over-the-counter derivatives" shall mean a derivative contract that is not traded on an exchange but instead is privately negotiated between a purchaser and a seller; and

(vi) "permanent establishment" shall have the meaning as assigned to it in clause (iiia) of section 92F of the Act.

[Notification No. 87/2022/ F. No. 370142/36/2022-TPL]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 537(E) dated the 12th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.08.01 21:41:17 +05'30'